

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
परिवार कल्याण,  
30प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ, दिनांक 04 जुलाई 2022

विषय:-परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष 18 जनपदों में "मिशन परिवार विकास" कार्यक्रम का विस्तार किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-30/2017/92 /पांच-9-2017-9(6)/2017, दिनांक 30-04-2017 में संशोधन विषयक।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एन0-11026 /1/2018-एफ0पी0-11, दिनांक 03-11-2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में शासनादेश संख्या-30/2017/92/पांच-9-2017-9(6)/2017, दिनांक 24-04-2017 के माध्यम से लागू मिशन परिवार विकास योजना का विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 से अब प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में "मिशन परिवार विकास" योजना को लागू किया जा रहा है।

2- मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत नवीन एवं पुनरीक्षित योजनाओं, विभिन्न कार्य प्रदायक कर्मियों की भूमिका एवं कार्यदायित्व एवं अनुश्रवण गतिविधियों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश दिनांक 24-04-2017 के अनुसार यथावत रहेंगे।

वर्णित शासनादेश दिनांक 24-04-2017 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय



( अमित मोहन प्रसाद )

अपर मुख्य सचिव

संख्या-60/2022/544(1)/पांच-9-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर सचिव, एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0।
4. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, 30प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)

विशेष सचिव